(वाद सं0-8158/4/15/2022)

12.12.2023

नोटिस दिये जाने के बावजूद परिवादी, योगेन्द्र कुमार सिंह, अनुपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला भगवानपुर (कैमुर) में एक झोलाछाप डॉक्टर के द्वारा एक 55 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का ईलाज करने तथा ईलाज के दौरान उक्त अधेड़ व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर दोषी डॉक्टर से मुआवजा की राशि वसूल कर, मृतक के परिजनों को उक्त राशि का भुगतान किये जाने से सम्बन्धित Human Right C.W.A. के राष्ट्रीय अध्यक्ष, योगेन्द्र कुमार सिंह योगी के परिवाद से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, कैमुर व पुलिस अधीक्षक, कैमुर** से प्रतिवेदन की माँग की गई। जिला पदाधिकारी, कैमुर के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमुर, भभुआ के प्रतिवेदनानुसार, ‘‘मृतक के परिजन, हरिनन्दन सिंह, द्वारा लिखित रूप से यह आवेदन दिया गया है कि उसके पिता को पहले से बिमारी थी, जिन्हें ईलाज के लिए आर0बी0 हॉस्पीटल में ले गये, जहाँ मौखिक रूप से रेफर कर दिया गया। इसके बाद ईलाज के लिए चन्दौली ले जा रहा था। चन्दौली ले जाने के क्रम में उसके पिता की मृत्यु हो गयी। अपने प्रतिवेदन में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमुर, भभुआ का कथन है कि मृतक के पुत्र, हरिनन्दन सिंह, को आर0बी0 हॉस्पीटल एवं संचालक से कोई शिकायत नहीं है।’’**

जबकि पुलिस अधीक्षक, कैमुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ‘‘मृतक काशीनाथ के पुत्र, हरिनन्दन सिंह, को थाना में बुलाया गया, जहाँ उसके द्वारा बताया गया कि उसके पिता पहले से

बीमार थें और वह अपनी इच्छा से आर0बी0 हॉस्पीटल भुगवानपुर, ले गये थें, जहाँ मौखिक रूप से आर0बी0 हॉस्पीटल के द्वारा बाहर ईलाज करने हेतु रेफर कर दिया गया। मृतक काशीनाथ सिंह, को ईलाज हेतु चन्दौली ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गयी। मृतक के पुत्र, हरिनन्दन सिंह, के द्वारा यह बताया गया कि उसे आर0बी0 हॉस्पीटल के चिकित्सक और संचालक से कोई शिकायत नहीं है। पुलिस अधीक्षक, कैमुर द्वारा भगवानपुर थाना के थानाध्यक्ष को मृतक के पुत्र द्वारा समर्पित आवेदन की छायाप्रति भी अनुलग्नित की गयी है।''

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गयी। परिवादी का अपने प्रत्युत्तर में कथन है कि उसने जब इस सम्बन्ध में पता किया तो उसे पता चला कि एक लाख रूपये लेकर मृतक का पुत्र, हरिनन्दन सिंह, ने सम्बन्धित अस्पताल के चिकित्सक व संचालक से समझौता कर लिया है।

परिवादी की ओर से प्रार्थना की गयी है कि प्रसंगाधीन मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर, दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाय।

प्रसंगाधीन मामले की जाँच जिला पदाधिकारी, कैमुर (भभुआ) व पुलिस अधीक्षक, कैमुर (भभुआ) से करायी गयी तथा उन दोनों का अपने जाँच प्रतिवेदन में कथन है कि मृतक के पुत्र द्वारा इस सम्बन्ध में उनके समक्ष कोई शिकायत नहीं किया गया जबकि स्वयं परिवादी, जिनका प्रसंगाधीन मामले में कोई सम्बन्ध नहीं है, के द्वारा राज्य आयोग को दिये गये परिवाद पत्र को मृतक के पुत्र द्वारा निराधार बताया जा रहा है।

अब जबकि मृतक के परिजन ही परिवाद पत्र में उल्लेखित कथन का समर्थन नहीं कर रहे है, तो ऐसी परिस्थिति में

उक्त पर राज्य आयोग के स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, कैमुर (भभुआ) के प्रतिवेदन (पृष्ठ 23–17/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव